संख्या- 02/2018/ 64 /62-1-2018-1107/2015टीसी-।।

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/महोबा/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर,
उत्तर प्रदेश ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक- 16 जनवरी,2018

विषय- भूगर्भ जल विभाग के अन्तर्गत भूजल जनजागरूकता एवं प्रचार-प्रसार योजना के क्रियान्वयन हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विकास खण्डस्तरीय भूजल सेना का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के भूगर्भ जल सम्पदा के दीर्घ कालीन प्रबन्धन, नियोजन के साथ-साथ भूजल दोहन के नियंत्रण, भूगर्भ जल संरक्षण तथा वर्षा जल संचयन कार्यों को शासन की प्राथमिकताओं में रखा गया है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अधिकांश विकास खण्ड यद्यपि सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत है, परन्तु क्षेत्र की जटिल हाइडोजियोलाजिकल परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा का एक बड़ा भाग रन-आफ होने से भूजल उपलब्धता का संकट सदैव बना रहता है।

2- उक्त के दृष्टिगत प्रदेश में 'राज्य भूजल संरक्षण मिशन' के रूप में नवीन महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ की गयी है, जिसका उद्देश्य यह है कि संकटग्रस्त विकासखण्डों एवं शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की उपयुक्त विधियों के माध्यम से संतृप्त करते हुए भूजल संसाधनों की उपलब्धता में प्रभावकारी सीमा तक वृद्धि की जा सके तथा जल संरक्षण/बचत के दक्ष उपायों को अपनाकर भूजल दोहन की वर्तमान दर में प्रभावी स्तर तक कमी लायी जा सके ताकि ऐसे क्षेत्रों को संकटग्रस्त स्थिति से बाहर लाकर सुरक्षित सीमा में लाया जा सके और भूजल स्तर गिरावट की वर्तमान दर में भी कमी आ सके। उक्त के क्रम में मिशन के प्रारम्भिक वर्षों व गत वर्षों में मिशन की प्रस्तावित गतिविधियों से बुन्देलखण्ड क्षेत्र को पूर्ण रूप से आच्छादित कर लिया गया है, जिससे कि इस क्षेत्र में जल प्रबन्धन के प्रभावी लाभ समग्र रूप से शीघ्र परिलक्षित हो सके।

3- शासनादेश संख्या-594/62-1-2017-1107/2015टीसी-।।, दिनांक 19-05-2017 द्वारा जनपद स्तर पर भूजल सेना का गठन निम्नानुसार किया जा रहा है। इस भूजल सेना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भूजल सम्बन्धी समस्याओं के समाधान, जन-चेतना जागृत करने एवं जल संरक्षण कार्यों से आम जन-मानस को प्रेरित करने के साथ सम्बन्धित योजनाओं को गति प्रदान करवाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसमें स्कूल-कालेज के छात्र-छात्राओं के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों, औद्योगिक एवं व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों, सम्बन्धित क्षेत्र के प्रगतिशील नागरिकों को सम्मिलित किया गया है।

4- मिशन की गतिविधियों का क्रियान्वयन विकास खण्ड स्तर पर किया जाना है। अत: भूजल प्रबन्धन की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत भूजल के महत्व को प्रसारित करने तथा जन जागरूकता के सृजन हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर भूजल सेना का गठन कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

5- विकास खण्ड पर प्रस्तावित भूजल सेना में कम से कम 20 सदस्य अवश्य सम्मिलित होगें। भूजल सेना में सदस्य के रूप में सम्बन्धित विकास खण्डों के पंचायत सदस्य, स्कूल, कालेजों के कक्षा-8, 9 व 11 के कम से कम 10 विद्यार्थी, गैर सरकारी/स्वयं सेवा संगठनों के 05 प्रतिनिधि/सदस्य, औद्योगिक एवं व्यवसायिक संगठनों के 02 प्रतिनिधि, स्थानीय स्तर पर 02 प्रगतिशील नागरिक भूजल सैनिक के रूप में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त भूजल सेना के सदस्य होंगे। विकास खण्ड स्तर पर उक्तानुसार प्रस्तावित विकासखण्डवार भूजल सेना एवं जनपद स्तर पर गठित भूजल सेना आवश्यकतानुसार एक दूसरे से समन्वय स्थापित करेगी।

6- उक्त भूजल सेना द्वारा निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जायेगी:-

6.1 मिशन की गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहभागिता।

6.2 पद यात्रा/रैलियों का समय-समय पर आयोजन।

6.3 स्कूल-कालेजों, पंचायतों, आवासीय कालोनियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भूजल चेतना जागृत करने हेतु संवाद, लघु गोष्ठियों का आयोजन।

6.4 स्वयंसेवी संगठनों एवं सामुदायिक सहभागिता के सहयोग से भूजल मंथन/विचार-विमर्श सत्रों एवं विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन।

6.5 भूजल संरक्षण एवं प्रबन्धन के सरल उपायों को जनमानस तक प्रसारित करना।

7- उक्त के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाएगी:-

7.1 चूंकि भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर पदस्थापित नहीं है, अत: विकास खण्ड से सम्बन्धित जनपद के लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए इस हेतु प्रस्तव तैयार कराकर आपके स्तर से विकास खण्डवार भूजल सेना के गठन का ज्ञाप निर्गत कराया जायेगा। इस सेना के समन्वयक एवं सहसमन्वयक के रूप में चयनित सदस्यों में से 02 सदस्यों को आपके अनुमोदन से नामित किया जायेगा।

7.2 भूजल सेना के कार्य-कलापों के संचालन हेतु प्रचार-प्रसार व अन्य सामग्री की व्यवस्था भूगर्भ जल विभाग के सम्बन्धित खण्डीय अधिकारी द्वारा उक्त हेतु आवंटित बजट से की जायेगी।

7.3 भूगर्भ जल विभाग के सम्बन्धित खण्डीय अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत विकास खण्ड में भूजल के परिदृश्य, विद्यमान परिस्थितियों/समस्याओं एवं उनके निराकरण के उपायों, विभिन्न शासकीय प्राविधानों पर एक समग्र तकनीकी सामग्री तैयार कराकर विकास खण्डवार भूजल सेना को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- अत: अनुरोध है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भूजल संरक्षण मिशन के क्रियान्वयन हेतु भूजल जन जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार के उद्देश्य के लिए अपने जनपद के समस्त विकास खण्डों में विकासखण्डवार भूजल सेना का गठन कराने का कष्ट करें।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

(मोनिका एस. गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-02/2018/64(1)/62-1-2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निमनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।

(2) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,
(शरद कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in